बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं०सं०–पि०व० / छात्रवृत्ति 35–18 / 2011–

प्रेषक,

रवि परमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपविकास आयुक्त,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–13 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की स्वीकृति में प्राथमिकता निर्धारित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य के अन्दर एवं बाहर विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं से बडी संख्या में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्रत्र प्राप्त हो रहे है। इस योजना के अन्तर्गत राशि की उपलब्धता के आधार पर सभी आवेदको को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने में जिला स्तर पर कठिनाई है। इस स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त राशि की उपलब्धता के आधार पर निम्नांकित अवरोही क्रम में प्राथमिकता देते हुए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है:–

1– सर्वप्रथम अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं के नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर विचार किया जाय।

2– तत्पश्चात अति पिछड़े वर्ग के छात्रो की नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर विचार किया जाय।

3– तदोपरान्त अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं की नवीन छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों पर विचार किया जाय।

4– इसके पश्चात अति पिछड़े वर्ग के छात्रो की नवीन छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों पर विचार किया जाय।

5– अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं एवं छात्रो के नवीनीकरण एवं नवीन छात्रवृत्ति की स्वीकृति के उपरान्त राशि उपलब्ध रहने पर क्रमशः पिछड़े वर्ग की छात्राओं के नवीनीकरण एवं पिछड़े वर्ग के छात्रो के नवीनीकरण छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जायेगी।

6– अन्त में राशि की उपलब्धता के आलोक में क्रमशः पिछड़े वर्ग की छात्राओं एवं पिछड़े वर्ग के छात्रो की नवीन छात्रवृत्ति स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपर्युक्त दिशा निदेश के अनुसार जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्र की प्राप्ति तिथि / समय के अनुसार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं की सूची तैयार करते हुए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करे।

तदनुसार इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय पत्र सं0–836 दिनांक–09.06.2010 को विलोपित समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(रवि परमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / छात्रवृत्ति 35–18 / 2011– 2174 पटना,दिनांक– 27-12-12
प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी / प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।